राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	उपस्थित अभिभाषकगण का नाम
1.	446 / 2024 देवेन्द्र सिंह	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर। 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर। 3. उप वन संरक्षक, करौली। 4. श्री अनिल कुमार मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, रेंज आंतरी, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अपीलार्थी की ओर से एवं श्री राकेश कुमावत, निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से
2.	876 / 2024 अनिल कुमार मीणा	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर। 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर। 3. उप वन संरक्षक, करौली। 4. श्री देवेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली।	श्री राकेश कुमावत अपीलार्थी की ओर से एवं श्री उम्मेद सिंह तंवर, निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से

प्रस्तुत करने की दिनांक : 12.03.2024

आदेश की दिनांक :

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोवासड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

2. उपर्युक्त दोनों अपीलें पारस्परिक सम्बन्धित होने एवं विधि का समान प्रश्न निहित होने के आधार पर हम उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल आदेश के द्वारा करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

3. अपील संख्या 446 / 2024 :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनपाल के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध वन

अधिकारी–II के पद पर पदोन्नति की जाकर अपीलार्थी का पदस्थापन सपोटरा, कार्यालय, उप वन संरक्षक, करौली में किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2023 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज बयाना, उप वन संरक्षक, भरतपुर में 4 माह 20 दिवस की अल्पावधि में किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का पदस्थापन रेंज आंतरी, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर से रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है।

अपीलार्थी द्वारा विभाग के निर्देश दिनांक 20.04.2011 का उल्लंघन करते हुए स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 के द्वारा वन विभाग के आदेश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु संख्या 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.08.2023 (अनुलग्नक–6) को स्थगन आदेश को पुष्ट किया तथा रिट याचिका ठहराव के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग को स्थानान्तरण करने की छूट प्रदान की। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3888/2021 ओमप्रकाश शर्मा बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 एवं 1141/2023 रघुनाथराम बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 एवं अपील संख्या 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 को अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन आदेश जारी किया है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ, संजय प्रभूणे बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 को यह निर्धारित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश नजरअंदाज करके लिए नहीं है (अनुलग्नक–7 से 10)। अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थानपन स्थान रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में ही पदस्थापित रखने के आदेश प्रदान करे।

4. अपील संख्या 876 / 2024 :—

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनपाल के पद पर जिला भरतपुर में वर्ष 2010 में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी—II के पद पर रेंज सपोटरा, उपवन सरंक्षक, करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज आंतरी, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर से रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली से रेंज बयाना, उप वन संरक्षक, भतरपुर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी को रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। जहां पर अपीलर्थी ने दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—4) को कार्यभार ग्रहण कर लिया था अर्थात प्रत्यर्थी विभाग के आदेशों की पालना हो गई है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज आंतरी, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर से रेंज सपोटरा, उप वन सरंक्षक, करौली हेतु स्थानान्तरणाधीन मानते हुए रेंज खण्डार, उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली से रेंज बयाना, उप वन संरक्षक, भरतपुर हेतु स्थानान्तरणाधीन मानते हुए रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में मात्र 2 दिवस की अल्पावधि में बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को संमजित करने के उद्देश्य से ही अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण किया है, जो कि अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी का 1 वर्ष 6 माह की अल्प अवधि में 3 बार स्थानान्तरण किया गया है जो बार—बार स्थानान्तरण की श्रेणी आता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी—II के पद पर रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में कार्य करने दिया जावें एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

निजी प्रत्यर्थी 4 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी को अनुचित रूप से एडजस्ट करने के लिए आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण रेंज आंतरी, डूंगरपुर से रेंज सपोटरा में अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया तथा उत्तदाता का स्थानान्तरण रेंज बयाना, भरतपुर में किया गया है। जिसके विरूद्ध उत्तरदाता ने अधीकरण के समक्ष अपील संख्या 446 / 2024 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उत्तरदाता को आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा

पदोन्नति करते हुए उत्तरदाता का पदस्थापन उपवन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर से क्षेत्रीय वन अधिकारी सपोटरा,, उपवन संरक्षक करौली में किया गया था। जिसकी पालना में उत्तरदाता ने दिनांक 29.09.2023 को कार्यग्रहण किया। उत्तरदाता का 4 माह 20 दिवस की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है। उत्तदाता की उक्त अपील विचाराधीन है तथा प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त तथ्यों पर गौर करते हुए तथा विभाग के नीति–निर्देश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु संख्या 1.1 के अनुसार उत्तरदाता का स्थानान्तरण उक्त नीति के विरूद्ध होने के कारण आदेश दिनांक 22.11.2023 के द्वारा उत्तदाता को यथावत् पदस्थापित रखा गया तथा अपीलार्थी को नजदीकी जिले में पदस्थापन किया गया, जो विभाग के निर्देश दिनांक 20.04.2011 के अनुसार जारी आदेश है, जो प्रशासनिक व विभाग के निर्देशों के अनुसार जारी आदशे है। इसलिए आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी की अल्पावधि बिना देखे आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था, जिसको विभाग द्वारा अवलोकन करने पर यह पाया कि निजी प्रत्यर्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है, जो विभाग के निर्देशों के विपरीत है तथा अपीलार्थी पूर्व में भी सवाई माधोपुर में पदस्थापित था। अपीलार्थी का निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर स्थानान्तरण करना विभाग के निर्देशों के विपरीत है। विभाग के निर्देशों की पालना में आदेश दिनांक 22.02.2024 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। अगर अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को दिया जाता है तो विभाग के निर्देश दिनांक 20.04.2011 के विपरीत होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगा तथा निजी प्रत्यर्थी को अल्पावधि में स्थानान्तरित स्थान पर जाना होगा। जिसको किसी भी प्रकार से प्रशासनिक व जनहित में किया गया स्थानान्तरण आदेश नहीं माना जा सकता है। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 प्रशासनिक व जनहित में पारित आदेश है। निजी प्रत्यर्थी ने उक्त आदेश की पालना में रेंज सपोटरा में कार्यग्रहण कर लिया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

अपीलार्थी 2011 के बिन्दु संख्या 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10. 08.2023 (अनुलग्नक–6) को स्थगन आदेश को पुष्ट किया तथा रिट याचिका ठहराव के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग को स्थानान्तरण करने की छूट प्रदान की।

5. हमने उभय पक्ष एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ताओ की अपील की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. **अपील संख्या 446/2024,** प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरूद्ध वन अधिकारी–II के पद पर पदोन्नति की जाकर अपीलार्थी का पदस्थापन सपोटरा, कार्यालय, उप वन संरक्षक, करौली में किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2023 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज बयाना, उप वन संरक्षक, भरतपुर में 4 माह 20 दिवस की अवधि में किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अनिल कुमार मीणा का पदस्थापन रेंज आंतरी, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर से रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में अपीलार्थी के स्थान पर सक्षम स्वीकृति द्वारा प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिसकी अनुपालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अनिल कुमार मीणा के द्वारा दिनांक 22.02.2024 को रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार आदेश की पालना हो गई है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाने योग्य है।

7. **अपील संख्या 876/2024,** प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज आंतरी, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर से रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 देवेन्द्र सिंह के स्थान पर किया गया जिसकी अनुपालना में दिनांक 21.02.2024 को कार्यमुक्त हो कर अपीलर्थी ने दिनांक 22.02.2024 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था अर्थात प्रत्यर्थी विभाग के आदेशों की पालना हो गई है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज आंतरी, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर से रेंज सपोटरा, उप वन सरंक्षक, करौली हेतु स्थानान्तरणाधीन मानते हुए रेंज खण्डार, उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 देवेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली से रेंज बयाना, उप वन संरक्षक, भरतपुर हेतु स्थानान्तरणाधीन मानते हुए रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में मात्र 2 दिवस की अवधि में किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2024 को रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 446/2024 अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 876/2024 अपीलार्थी अनिल कुमार मीणा द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश

दिनांक 20.02.2024 की अनुपालना में दिनांक 22.02.2024 को रेंज सपोटरा, उप वन संरक्षक, करौली में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

9. मूल आदेश अपील संख्या–446/2024 में एवं छाया प्रति अपील 876/2024 में संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

10. निजी प्रत्यर्थी 4 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी की अल्पावधि बिना देखे आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था, जिसको विभाग द्वारा अवलोकन करने पर यह पाया कि निजी प्रत्यर्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है, जो विभाग के निर्देशों के विपरीत है तथा अपीलार्थी पूर्व में भी सवाई माधोपुर में पदस्थापित था। इसलिए अपीलार्थी का निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर स्थानान्तरण करना विभाग के निर्देशों के विपरीत है। विभाग के निर्देशों की पालना में आदेश दिनांक 22.02.2024 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। अगर अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को दिया जाता है तो विभाग के निर्देश दिनांक 20.04.2011 के विपरीत होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगा तथा निजी प्रत्यर्थी को अल्पावधि में स्थानान्तरित स्थान पर जाना होगा। जिसको किसी भी प्रकार से प्रशासनिक व जनहित में किया गया स्थानान्तरण आदेश नहीं माना जा सकता है। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 प्रशासनिक व जनहित में पारित आदेश है। निजी प्रत्यर्थी ने उक्त आदेश की पालना में रंज सपोटरा में कार्यग्रहण कर लिया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

11. निजी प्रत्यर्थी 4 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी की अल्पावधि बिना देखे आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था, जिसको विभाग द्वारा अवलोकन करने पर यह पाया कि निजी प्रत्यर्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है, जो विभाग के निर्देशों के विपरीत है तथा अपीलार्थी पूर्व में भी सवाई माधोपुर में पदस्थापित था। इसलिए अपीलार्थी का निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर स्थानान्तरण करना विभाग के निर्देशों के विपरीत है। विभाग के निर्देशों की पालना में आदेश दिनांक 22.02.2024 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। अगर अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को दिया जाता है तो विभाग के निर्देश दिनांक 20.04.2011 के विपरीत होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत होगा तथा निजी प्रत्यर्थी को अल्पावधि में स्थानान्तरित स्थान पर जाना होगा। जिसको किसी भी प्रकार से प्रशासनिक व जनहित में किया गया स्थानान्तरण आदेश नहीं माना जा सकता है। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 प्रशासनिक व जनहित में पारित आदेश है। निजी प्रत्यर्थी ने उक्त आदेश की पालना में रंज सपोटरा में कार्यग्रहण कर लिया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।